14/10/22

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीनी वकील की ओर ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता श्री नरपतसिंह उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 02 के अधिवक्ता उपस्थित । विप्रार्थी सं. 06 के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीनी वकील की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी वास्ते विप्रार्थी सं. 01 लच्छा पुत्र जेठा की फौतगी की सूचना एवं संशोधित शीर्षक पेश किये। विप्रार्थी सं. 02 रामूदेवी के अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी सं. 02 रामूदेवी के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मूल आवेदन पर बहस आज ही सुनी जावे। जिसके संबंध में ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीनी अधिवक्ता आज आवश्यक कार्य से बाहर है अतः आगामी पेशी दी जावे।

जिसके संबंध में विप्रार्थी सं. 02 रामूदेवी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीनी द्वारा उक्त आवेदन में स्थगन आदेश ले रखा है स्थगन आदेश की वजह से वादग्रस्त भूमि के संबंध में हमारे सारे कार्य प्रभावित हो रहे है। अतः आज ही बहस सुनी जावे। विप्रार्थी सं. 02 रामूदेवी के अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया गया। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस में विप्रार्थी सं. 02 के अधिवक्ता ने अपने जबाव में पेश तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा तारातरा मठ के खसरा सं. 1101/457, 457/1, 1104/457, 456 में विप्रार्थी सं. 01 का पुश्तैनी 1/4 हिस्सा खातेदारी का होने से एवं विप्रार्थी सं. 01 द्वारा विप्रार्थी सं. 2 को अपने 1/4 हिस्सा में से 3/16 हिस्सा बेचान करने पर विप्रार्थी सं. 2 का 3/16 खातेदारी में बनता है। जो क्रय सुदा

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:43:57 IST
Reason: SelfAttested

है। इस प्रकार प्रार्थीनी का आवेदन मनगढत तथ्यों पर आधारित है।

विप्रार्थी सं. 02 के अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थीनी ने अपने आवेदन में लिखा है कि विप्रार्थी सं. 1 के पिता जेठाराम के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी में जेठाराम के 1/2 हिस्सा में विप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा एवं उसके भाई कालूराम का 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ। जो सही दर्ज किया गया। प्रार्थीनी द्वारा यह कथन करना कि जेठाराम के फौत होने पर उनका नाम रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था जो पूर्णत गलत एवं मनगढत है। चूंकि जेठाराम के फोत होने पर उसके पुत्र लच्छा एवं कालू के नाम से ही नामान्तरकरण पारित होगा। जबकि प्रार्थीनी जेठाराम की पौती है। पिता के जीवित होते हुए दादा की फौतगी नामान्तरकरण में पौती का नाम शामिल ~~शामिल~~ करने का कथन उचित नहीं है। इस प्रकार पौती का नाम नामान्तरकरण में शामिल करने का कथन प्रार्थीनी द्वारा करना बिल्कुल उचित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीनी के आवेदन में वर्णित तथ्य मनगढत एवं गलत होने से आवेदन काबिले खारीज है।

विप्रार्थी सं. 02 के अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थी सं. 01 का 1/4 हिस्सा खातेदारी बनता था और कोई भी सद्भावी खुदरा काश्तकार अपने खातेदारी भमि का बेचान कर सकता है। इस प्रकार विप्रार्थी सं. 01 द्वारा विप्रार्थी सं. 02 को किया गया बेचान सहीं होने से प्रार्थीनी का आवेदन काबिले खारीज है।

प्रार्थीनी वकील की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ओर से पेश आवेदन में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया जो सही किया गया। अतः निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश खारीज नहीं किया जावे तथा स्थगन आदेश यथावत् रखा जावे, ताकि प्रार्थीनी के हितो पर कुठाराघात नहीं हो।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे आधार पर न्यायालय के मतानुसार प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खा[illegible] जाने योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थीनी [illegible] 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सिद्ध नहीं होने से खारीज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:43:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन